न्यायालयः- अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या 01 किशनगढ़ ,
जिला-अजमेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : संदीप आनन्द, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 90/2025 (सरकार बनाम सलाम मीर)

1- सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र सं. : 48/2025
सीआईएस संख्या : 64/2025

एसके फाइनेंस लि. रजिस्टर्ड आफिस जी 1 व 2 न्यू मार्केट, खासा कोठी सर्किल, जयपुर, जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नटवरसिंह राठौड पुत्र श्री महेन्द्र सिंह राठौड निवासी अरवड पुलिस थाना सराना जिला अजमेर।

2- सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र सं : 10/2026,
सीआईएस संख्या : 33/2026

सलाम मीर पुत्र सलीम मीर, उम्र 39 साल, निवासी पानी की टंकी के पास, जसुरी रोड मकराना, पुलिस थाना मकराना जिला डीडवाना कुचामन राज.।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक किशनगढ़।

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 497 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन कार संख्या आरजे 42 सीए 5252 को सुपुर्दगीनामे पर छुडवाये जाने बाबत</u>

उपस्थितिः-

01- श्री महेन्द्र कुमार डाबरिया, विद्वान अधिवक्ता एस.के. फाईनेन्स लि. की ओर से।

02- श्री जटाशंकर तिवारी, विद्वान अधिवक्ता सलाम मीर की ओर से।

03- श्री भागीरथ लाल जाट, विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

आदेश दिनांक 02-04-2026

1. उक्त दोनों प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 63/2025 पुलिस थाना रूपनगढ़ में जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 42 सीए 5252 को सुपुर्दगी पर लेने से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. हस्तगत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्री सत्यवान सिंह मीणा थानाधिकारी पुलिस थाना रूपनगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 63/2025 अंतर्गत धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं इस प्रकरण में दिनांक 23-03-2025 को हस्तगत घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार संख्या आरजे 42 सीए 5252 को थानाधिकारी सत्यवान सिंह द्वारा हस्तगत प्रकरण में जब्त किया गया। इस वाहन को सुपुर्दगी पर लेने हेतु एक प्रार्थना पत्र एस.के. फाइनेंस लि. द्वारा इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि हस्तगत प्रकरण के अभियुक्त सलाममीर ने उक्त जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी फाइनेंस कंपनी से ऋण लेकर खरीद किया था एवं ऋण की किश्तों की अदायगी नहीं की। इस कारण प्रार्थी फाइनेंस कंपनी उक्त जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त किए जाने के अधिकारी है एवं प्रार्थी सलाम मीर ने हस्तगत प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि वह जब्तशुदा वाहन का पंजीकृत स्वामी है एवं वाहन के रूपनगढ़ थाने पर खडे रहने से उसके खराब होने की आशंका है। इस वाहन के संबंध में कोई अनुसंधान शेष नहीं है व ऋण की किश्ते अदा करने को तैयार है। अतः उक्त जब्तशुदा वाहन प्रार्थी सलाम मीर को सुपुर्दगी पर दिया जावे।

3. उक्त प्रार्थना पत्रों की बहस में उभय पक्षों के अधिवक्तागण ने अपने-अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है। इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण

अवैध मादक पदार्थों के परिवहन के लिए उपयोग में लिया जा रहा था। स्वयं प्रार्थी सलाम मीर के विरूद्ध आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिस वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु कोई भी प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दोनों प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जावे। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दांडिक अपील संख्या 87/25 विश्वजीत बनाम असम राज्य में पारित आदेश दिनांकित 07-01-2025 की प्रति प्रस्तुत की।

4. हस्तगत प्रार्थना पत्रों एवं मूल सेशन पत्रावली संख्या 90/25 सरकार बनाम सलाम मीर का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का भी ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2003 कि०लॉ०रि० (एस.सी.) 103 सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य तथा किमीनल अपील नं0 2005/2022 (एसएलपी (किमी.) नं० 7280/2022) Sainaba Vs The State of Kerala & Anr. एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त एस.बी. किमी. मिस. पिटिशन नं० 416/2010 प्रकाश चन्द्र बनाम राजस्थान राज्य आदेश दिनांक 12.03.2010, एस.बी. किमी. रिविजन पिटिशन नं0 965/2022 दिनेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य आदेश दिनांक 15.12.2022, एस.बी. किमी. रिविजन पिटिशन नं0 1575/2022 मनीराम बनाम राजस्थान राज्य आदेश दिनांक 20.01.2023 तथा 2022 (4) कि०लॉ०रि० (राज.) 1706 रामकिशन करनानी बनाम राजस्थान राज्य द्वारा एन डी पी एस एक्ट के तहत जब्तशुदा मादक पदार्थ व वाहनों के निस्तारण बाबत् दिशा-निर्देश दिये गये है किन्तु किमिनल अपील नं0 87/2025 Bishwajit Dey Vs The State of Assam आदेश दिनांक 07.01.2025 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में

अम्बालाल देसाई तथा Sainaba के प्रकरणों का उल्लेख करते हुये पैरा संख्या 29 एवं 30 में प्रथम दो परिदृश्य की स्थिति यथा जहां वाहन स्वामी वह व्यक्ति हो जिसके कब्जे से मादक पदार्थ बरामद किया गया हो एवं वाहन स्वामी द्वारा Hire किये गये एजेन्ट जैसे चालक, क्लीनर के कब्जे से मादक पदार्थ बरामद किया हो तो जब्तशुदा वाहन को वाहन मालिक-अभियुक्त को सुपुर्दगी पर नहीं देने के संबंध में निम्न मत व्यक्त किया है- 'Consequently, it is only in the first two scenarios that the vehicle may not be released on superdari till reverse burden of proof is discharged by the accused-owner.'

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अपने न्यायिक दृष्टांत खुर्शीद बनाम राजस्थान राज्य एकल पीठ दांडिक विविध याचिका संख्या 7517/25 में पारित आदेश दिनांकित 02-12-2025 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि '' जहां वाहन के पंजीकृत स्वामी पर एनडीपीएस के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने का अभियोग हो, वहां वाहन को सुपुर्दगी पर नहीं छोडा जावेगा''।

हस्तगत प्रकरण में वाहन का पंजीकृत स्वामी प्रार्थी-अभियुक्त सलाम मीर होकर मादक पदार्थ भी उसी के स्वामित्व के वाहन से उसी के कब्जे से बरामद किया जाना जाहिर होता है। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में लिये गये आधारों एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 497 बीएनएसएस अस्वीकार किये जाकर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन क्रेटा कार संख्या आरजे 42 सीए 5252 को प्रार्थीगण को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

आदेश

6. परिणामतः प्रार्थीगण एस.के. फाईनेंस व सलाम मीर की ओर से प्रस्तुत हस्तगत सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 497 बीएनएसएस अस्वीकार कर खारिज किये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल

पत्रावली के साथ संलग्न हो। आदेश की एक-एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

(संदीप आनन्द)
अपर सेशन न्यायाधीश,संख्या 01,
किशनगढ़, जिला अजमेर

8. यह आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 02-04-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संदीप आनन्द)
अपर सेशन न्यायाधीश,संख्या 01,
किशनगढ़, जिला अजमेर